



अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
ATAL BIHARI VAJPAYEE VISHWAVIDYALAYA, BILASPUR (CHHATTISGARH)

website: www.bilaspuruniversity.ac.in

क्रमांक / 565 / परीक्षा-गोपनीय / 2018

दिनांक 30.11.2018

—::अधिसूचना::—


अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर की सत्र 2018-19 की स्नातक, स्नातकोत्तर एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की मुख्य परीक्षा-2019 में सम्मिलित होने वाले नियमित/स्वाध्यायी/भूतपूर्व/पूरक परीक्षार्थियों से विश्वविद्यालय के पोर्टल <http://exam.bucgexam.in> में ऑनलाइन परीक्षा आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। ऑनलाइन परीक्षा आवेदन करने एवं ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए तिथि निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:-

1.	ऑनलाइन आवेदन करने एवं परीक्षा शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करने की तिथि (बिना विलंब शुल्क)	01/12/2018 से 31/12/2018 तक
2.	बिना विलंब शुल्क परीक्षार्थियों द्वारा ऑनलाइन भरे गये परीक्षा आवेदन की हार्ड कॉपी (प्रिंट कर) आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर संबंधित महाविद्यालय में जमा करने की तिथि	01/12/2018 से 02/01/2019 तक
3.	ऑनलाइन आवेदन करने एवं परीक्षा शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करने की तिथि (विलंब शुल्क रुपये 200/-)	01/01/2019 से 15/01/2019 तक
4.	विलंब शुल्क रुपये 200/- सहित परीक्षार्थियों द्वारा ऑनलाइन भरे गये परीक्षा आवेदन की हार्ड कॉपी (प्रिंट कर) आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर संबंधित महाविद्यालय में जमा करने की तिथि	01/01/2019 से 17/01/2019 तक
5.	ऑनलाइन आवेदन करने एवं परीक्षा शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करने की अंतिम तिथि (विलंब शुल्क रुपये 200/- के अतिरिक्त प्रतिदिन विलंब शुल्क रुपये 100/-)	16/01/2019 से 25/01/2019 तक
6.	विलंब शुल्क रुपये 200/- सहित परीक्षार्थियों द्वारा ऑनलाइन भरे गये परीक्षा आवेदन की हार्ड कॉपी (प्रिंट कर) आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर संबंधित महाविद्यालय में जमा करने की तिथि	01/01/2019 से 17/01/2019 तक
7.	विलंब शुल्क रुपये 200/- के अतिरिक्त प्रतिदिन विलंब शुल्क रुपये 100/- सहित परीक्षार्थियों द्वारा ऑनलाइन भरे गये परीक्षा आवेदन की हार्ड कॉपी आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर संबंधित महाविद्यालय में जमा करने की तिथि	16/01/2019 से 28/01/2019 तक

8	परीक्षार्थियों द्वारा ऑनलाईन भरे गये परीक्षा आवेदन की हार्ड कापी अनिवार्य/आवश्यक दस्तावेजों के साथ विश्वविद्यालय परीक्षा विभाग में जमा करने की तिथि	उपरोक्त क्र. 2, 4, 6 अनुसार परीक्षार्थियों द्वारा परीक्षा आवेदन महाविद्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि के 05 दिवस के भीतर (अवकाश के दिनों को छोड़कर)
---	---	--

विश्वविद्यालय अधिसूचना क्रमांक 1768/परीक्षा/2017 बिलासपुर दिनांक 31.05.2017 द्वारा निर्धारित परीक्षा एवं अन्य शुल्क देय होगा। सत्र 2017-18 की मुख्य परीक्षा-2018 के पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना/पूरक परीक्षा-2018 के परीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात परीक्षार्थी निर्धारित अंतिम तिथि तक ऑनलाईन परीक्षा आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाईन परीक्षा आवेदन करने की प्रक्रिया आदि के संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश पृथक से जारी किया जा रहा है। परीक्षार्थियों द्वारा ऑनलाईन भरे गये परीक्षा आवेदन की हार्ड कापी अनिवार्य/आवश्यक दस्तावेजों के साथ विश्वविद्यालय परीक्षा विभाग में जमा करने की तिथि जिलावार पृथक से जारी की जावेगी।

आदेशानुसार



सहायक कुलसचिव (परीक्षा)

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
बिलासपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/566/परीक्षा-गोपनीय/2018

बिलासपुर, दिनांक 30/11/2018

प्रतिलिपि :-

- माननीय कुलपति महोदय, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ।
- कुलसचिव, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ।
- परीक्षा नियंत्रक, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ।
- प्राचार्य, समस्त संबद्ध महाविद्यालय, बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ। इस अधिसूचना को महाविद्यालय के सूचना पटल पर छात्रों के अवलोकनार्थ चस्पा करावें एवं परीक्षार्थियों को उपरोक्तानुसार निर्धारित तिथि तक आवेदन करने हेतु सूचित करावें।
- वित्ताधिकारी/सहायक कुलसचिव (गोपनीय/भंडार/वित्त), बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ।
- अनुभाग अधिकारी/कक्ष प्रभारी (गोपनीय/परीक्षा) बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- संपादक/संवाददाता, दैनिक समाचार पत्र को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि छात्रहित में इसे विज्ञप्ति के रूप में अपने समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।
- विश्वविद्यालय सूचना पटल/वेबसाइट पर अपलोड हेतु।



सहायक कुलसचिव (परीक्षा)

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
बिलासपुर (छ.ग.)



अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

ATAL BIHARI VAJPAYEE VISHWAVIDYALAYA, BILASPUR (CHHATTISGARH)

website: www.bilaspuruniversity.ac.in

—:महाविद्यालयों के लिए आवश्यक निर्देश:-

1. समस्त महाविद्यालयों के प्राचार्य/ प्रभारी प्राचार्य/अग्रेषणकर्ता अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि उपरोक्तानुसार निर्धारित तिथि के अनुसार ही अध्यादेश/परिनियम/विनियम के प्रावधानानुसार एवं नियमानुसार पात्र परीक्षार्थियों के परीक्षा आवेदन पत्र विश्वविद्यालय को अग्रेषित करें एवं महाविद्यालय के परीक्षा प्रभारी/विशेष वाहक द्वारा निर्धारित तिथि तक विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग में अनिवार्यतः जमा करावें।
2. जिन नियमित परीक्षार्थियों के परीक्षा आवेदन पत्र अग्रेषित किये जा रहे हैं, उनकी उपस्थिति 75% होना अनिवार्य है। 75% से कम तथा 60% से अधिक उपस्थिति वाले परीक्षार्थियों के आवेदन पत्र तभी अग्रेषित किये जावें, जब उनकी उपस्थिति परीक्षा के पूर्व 75% हो जावेगी। 60% से कम उपस्थिति वाले परीक्षार्थियों के आवेदन पत्र नियमानुसार अग्रेषित न किए जाये।
3. अग्रेषण अधिकारी यह ध्यान देवें कि परीक्षार्थियों के विगत वर्षों में उत्तीर्ण परीक्षाओं की समस्त अंकसूचियाँ/प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न कराकर ही परीक्षा आवेदन पत्र को अग्रेषित करें।
4. विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षणोपरांत यदि किसी प्रकार से आवेदन अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण/आवश्यक अंकसूचियाँ/दस्तावेज की कमी पायी जाती है तो उसका परीक्षा आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा एवं इसकी जिम्मेदारी संबंधित परीक्षार्थी एवं महाविद्यालय की होगी।
5. परीक्षा की तिथि/समय-सारणी पृथक से घोषित की जावेगी।
6. संबंधित परीक्षा के अध्यादेश के अनुसार एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित/अनुमोदित पाठ्यक्रम एवं परीक्षा योजना के अनुसार ही परीक्षाएं आयोजित किये जायेंगे।
7. **परीक्षा शुल्क:**—विश्वविद्यालय अधिसूचना क्रमांक 1768/परीक्षा/2017 बिलासपुर दिनांक 31.05.2017 द्वारा निर्धारित परीक्षा एवं अन्य शुल्क देय होगा। परीक्षा शुल्क एवं अन्य शुल्क संबंधी अधिसूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। तदनुसार परीक्षार्थियों को परीक्षा शुल्क की राशि के अलावा कोई अतिरिक्त शुल्क हो तो जैसे— अप्रवासन शुल्क, उपनाम परिवर्तन शुल्क इत्यादि हो तो पृथक से देय होगा। परीक्षार्थियों को परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाईन करना होगा। परीक्षार्थी इंटरनेट बैंकिंग/डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान ऑनलाईन कर सकेंगे। परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त, अग्रेषण शुल्क रु. 30/- भी ऑनलाईन लिया जा रहा है। अतः परीक्षार्थियों को परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त परीक्षा संबंधी किसी अन्य प्रकार का शुल्क देय नहीं होगा। यदि किसी परीक्षार्थी द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त अन्य शुल्क महाविद्यालय में जमा किया जाता है तो इसके लिए छात्र/परीक्षार्थी व्यक्तिगत रूप से स्वयं जिम्मेदार होंगे।
8. दिव्यांग (Physically Handicapped) परीक्षार्थियों को परीक्षा शुल्क से छूट दिया जावेगा। परंतु ऐसे परीक्षार्थियों को ऑनलाईन परीक्षा आवेदन करते समय संपूर्ण शुल्क का भुगतान ऑनलाईन करना होगा तथा बाद में हार्डकापी के साथ सक्षम अधिकारी के प्रमाण पत्र के साथ अपनी परीक्षा शुल्क वापसी हेतु आवेदन एवं आवश्यक दस्तावेज महाविद्यालय के प्राचार्य से अग्रेषित

कराकर विश्वविद्यालय परीक्षा विभाग में जमा करने पर उनके द्वारा जमा की गई परीक्षा शुल्क की राशि वापस की जा सकेगी।

9. चूंकि परीक्षा हेतु आवेदन करने की संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन है तथा परीक्षा शुल्क विश्वविद्यालय द्वारा ऑनलाईन लिये जा रहे हैं। अतः परीक्षार्थियों के परीक्षा आवेदन की हार्डकॉपी महाविद्यालय में जमा करने के लिए परीक्षा शुल्क के साथ जोड़कर कोई अन्य शुल्क न लिया जावे। परीक्षार्थियों से महाविद्यालय में केवल ऑनलाईन भरे हुए परीक्षा आवेदन एवं परीक्षार्थियों द्वारा संलग्न किये गये आवश्यक दस्तावेज अग्रेषण हेतु स्वीकार करें तथा परीक्षार्थियों के परीक्षा आवेदन विधिवत् विश्वविद्यालय को अग्रेषित करें।
10. मुख्य परीक्षा-2019 के लिए ऑनलाईन आवेदन करने एवं परीक्षा शुल्क का भुगतान करने के पश्चात यदि परीक्षार्थी प्रायोगिक एवं/अथवा सैद्धांतिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं होता है अथवा प्रायोगिक एवं/अथवा सैद्धांतिक परीक्षा में आंशिक सम्मिलित होता है अर्थात् सभी प्रश्नपत्रों में सम्मिलित नहीं होता है, तो परीक्षा शुल्क परीक्षार्थी को वापस नहीं किया जावेगा।
11. विश्वविद्यालय द्वारा यथा समय अन्य निर्देश प्रसारित किये जाएंगे। अतः विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.bilaspuruniversity.ac.in का अवलोकन करते रहें।



—:परीक्षार्थियों के लिए अन्य आवश्यक निर्देश:—

1. परीक्षार्थी परीक्षा आवेदन के समय स्वयं का मोबाईल नंबर दर्ज करें। ताकि परीक्षा आवेदन करने की प्रक्रिया के दौरान मोबाईल नंबर पर यूजर आईडी/पासवर्ड/एस.एम.एस. प्राप्त हो सके।
2. विश्वविद्यालय के संबंधित परीक्षा के अध्यादेश एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित/अनुमोदित पाठ्यक्रम एवं परीक्षा योजना के अनुसार ही परीक्षाएं आयोजित किये जायेंगे।
3. विषय/प्रश्नपत्रों का चयन विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार ही करें। विगत वर्ष की परीक्षा में पूरक घोषित परीक्षार्थियों को विषय/प्रश्नपत्र परिवर्तन करने की अनुमति नहीं है। विषय परिवर्तन करने पर परीक्षा आवेदन पत्र निरस्त करने योग्य होगा।
4. भूतपूर्व/स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष और स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों को विषय परिवर्तन की अनुमति नहीं है। विषय परिवर्तन कर परीक्षा आवेदन करने अथवा परीक्षा में सम्मिलित होने पर परीक्षा आवेदन अथवा निरस्त करने योग्य होगा।
5. परीक्षार्थी ऑनलाईन परीक्षा आवेदन एवं परीक्षा शुल्क का ऑनलाईन भुगतान करने के पश्चात् परीक्षा आवेदन की हार्डकॉपी एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज जैसे—कक्षा 10वीं एवं 12वीं की अंकसूची, स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षा के समस्त वर्ष/सेमेस्टर की अंकसूची आदि की सत्यापित/स्वप्रमाणित छायाप्रति संबंधित महाविद्यालय में अधिसूचना में निर्धारित तिथि तक जमा कर सकेंगे। परीक्षार्थियों के परीक्षा आवेदन महाविद्यालयों के माध्यम से प्राचार्य/अग्रेषणकर्ता अधिकारी द्वारा विधिवत अग्रेषित किये जाने पर ही विश्वविद्यालय परीक्षा विभाग में निर्धारित अंतिम तिथि तक ही स्वीकार किया जावेगा।
6. किसी भी परीक्षार्थी के परीक्षा आवेदन की हार्डकॉपी सीधे परीक्षार्थी द्वारा विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करने पर परीक्षा विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किया जावेगा।
7. ऑनलाईन परीक्षा आवेदन करने से पूर्व परीक्षार्थी संबंधित महाविद्यालय से पाठ्यक्रम/विषय/प्रश्नपत्रों के संबंध में आवश्यक जानकारी एवं सलाह/मार्गदर्शन प्राप्त कर लें। तत्पश्चात् ही परीक्षा आवेदन करें।
8. विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा आवेदनों के परीक्षणोंपरांत यदि परीक्षा आवेदन अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण पाया जाता है एवं/अथवा संलग्न किये जाने वाले अनिवार्य एवं आवश्यक दस्तावेजों की कमी पायी जाती है तो संबंधित परीक्षार्थी का परीक्षा आवेदन निरस्त करने योग्य होगा।
9. यदि परीक्षार्थी सत्र 2017-18 की परीक्षा एवं उसके पूर्व विश्वविद्यालय की परीक्षा में सम्मिलित न हुए हो तो गैप सर्टिफिकेट (शपथपत्र) के मूल प्रति संलग्न करें।
10. विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं में सत्र 2017-18 या उसके पूर्व आपके विरुद्ध अनुचित साधन उपयोग करने का प्रकरण होने पर विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा से वंचित किये गये हो तो उस अधिसूचना की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
11. किसी भी परीक्षार्थी को एक सत्र में विश्वविद्यालय की एक से अधिक उपाधि/डिप्लोमा परीक्षाओं में सम्मिलित होने की पात्रता नहीं है।
12. विवाहित महिला परीक्षार्थी, जिनकी अंकसूचियों में विधिवत प्रक्रिया के तहत उपनाम परिवर्तन हो चुका है, वे ही अपने पति का नाम अंकित करें। महिला परीक्षार्थी यदि वह उपनाम (सरनेम) परिवर्तन कर रही है, तो उपनाम (सरनेम) परिवर्तन आप्शन को सेलेक्ट कर एवं उपनाम (सरनेम) परिवर्तन शुल्क राशि भी ऑनलाइन जमा करेंगे। ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने



के पश्चात उपनाम (सरनेम) परिवर्तन संबंधी नोटरी/शपथ पत्र की मूल प्रति अन्य संलग्नकों (Enclosures) के साथ जमा करेंगे। तत्पश्चात् ही उपनाम परिवर्तन मान्य किया जा सकेगा।

13. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की जवाबदारी है कि उसके द्वारा जिन शैक्षणिक अंकसूचियों/प्रमाणपत्रों की जानकारी दी गई है, वह सही है तथा उनके द्वारा परीक्षा हेतु ऑनलाईन आवेदन करते समय दी गई जानकारी भरे हैं; वह सही है। जानकारी असत्य/त्रुटिपूर्ण/गलत पाये जाने पर विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी चरण में परीक्षा आवेदन/प्रवेश पत्र/परीक्षा परिणाम निरस्त किया जा सकेगा।
14. जिन छात्रों को विश्वविद्यालय द्वारा पात्रता प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया है, वे अपने ऑनलाईन आवेदन में विश्वविद्यालय द्वारा जारी पात्रता के अनुसार ही परीक्षा आवेदन पत्र भरें।
15. परीक्षार्थियों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाईन आवेदन करते समय समस्त प्रवृष्टियां एवं महाविद्यालय का चयन सावधानीपूर्वक करें। परीक्षा शुल्क के भुगतान के उपरांत ऑनलाईन आवेदन में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर ऑनलाईन प्रवेश पत्र जारी होने से पूर्व त्रुटि सुधार हेतु आवेदन सहित परीक्षा विभाग में उपस्थित होकर सशुल्क त्रुटि सुधार करा सकते हैं। विश्वविद्यालय की वेबसाइट/पोर्टल पर ऑनलाईन प्रवेश पत्र जारी के पश्चात महाविद्यालय/परीक्षा केन्द्र में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जावेगी। विशेष परिस्थिति में ही अध्यादेश के प्रावधानानुसार महाविद्यालय/परीक्षा केन्द्र में परिवर्तन करने की अनुमति दी जावेगी। यदि किसी महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की जानकारी में लाये बिना अथवा विश्वविद्यालय की अनुमति के बिना किसी भी परीक्षार्थी का परीक्षा केन्द्र परिवर्तित कर दिया जा रहा है अथवा किसी अन्य परीक्षा केन्द्र में सम्मिलित कर लिया जाता है तो संबंधित परीक्षार्थी का परीक्षा परिणाम विश्वविद्यालय द्वारा रोक दिया जायेगा।
16. परीक्षा शुल्क:—विश्वविद्यालय अधिसूचना क्रमांक 1768/परीक्षा/2017 बिलासपुर दिनांक 31.05.2017 द्वारा निर्धारित परीक्षा एवं अन्य शुल्क देय होगा। परीक्षा शुल्क एवं अन्य शुल्क संबंधी अधिसूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। तदनुसार परीक्षार्थियों को परीक्षा शुल्क की राशि के अलावा कोई अतिरिक्त शुल्क हो तो जैसे— अप्रवासन शुल्क, उपनाम परिवर्तन शुल्क इत्यादि हो तो पृथक से देय होगा। सेमेस्टर परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाईन करना होगा। परीक्षार्थी इंटरनेट बैंकिंग/डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान ऑनलाईन कर सकेंगे। परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त, अग्रोषण शुल्क रु. 30/- भी ऑनलाईन लिया जा रहा है। अतः परीक्षार्थियों को परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त परीक्षा संबंधी किसी अन्य प्रकार का शुल्क महाविद्यालय को देय नहीं होगा। यदि किसी परीक्षार्थी से निर्धारित परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त अन्य शुल्क महाविद्यालय द्वारा मांगा जाता है और परीक्षार्थी परीक्षा आवेदन जमा करने के लिए महाविद्यालय में निर्धारित परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त अन्य शुल्क देता है तो इसके लिए छात्र/परीक्षार्थी व्यक्तिगत रूप से स्वयं जिम्मेदार होंगे।
17. दिव्यांग (Physically Handicapped) परीक्षार्थियों को परीक्षा शुल्क से छूट दिया जावेगा। परंतु ऐसे परीक्षार्थियों को ऑनलाईन परीक्षा आवेदन करते समय संपूर्ण शुल्क का भुगतान ऑनलाईन करना होगा तथा बाद में हार्डकापी के साथ सक्षम अधिकारी के प्रमाण पत्र के साथ अपनी परीक्षा शुल्क वापसी हेतु आवेदन करने पर उनके द्वारा जमा की गई परीक्षा शुल्क की राशि वापस की जा सकेगी।
18. परीक्षार्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.bilaspuruniversity.ac.in का निरंतर अवलोकन करते रहें।

